न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 108/2017 दायरा दिनांक : 14.08.2017

उनवान

मानसिंह आत्मज चन्दर सिंह, आयु 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रूगनाथसिंह आत्मज शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी.एस.भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.10.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी0ए0 /झालावाड़/2018/3766/17.10.2019 उनवान रूगनाथ सिंह बनाम मानसिंह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 एवं सपठित धारा 221 रा.टी.एक्ट विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 14.08.2017 से पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 17.10.2019 के द्वारा निगरानी इस आशय के साथ निस्तारित की गई कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2017 शीर्षक "मानसिंह बनाम रूगनाथसिंह" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनते हुए सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 3–ए के सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना में, उनके समक्ष लंबित अपील में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0 पी0 सी0 को तय किया जावे तत्पश्चात् अन्य सक्षम आदेश पारित किया जाये। उभयपक्ष दिनांक 15.11.2019 को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

3 पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम गुराडिया देवडा,

पटवारी क्षेत्र कीटिया, तहसील गंगधार की जमाबंदी संख्या 264 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 0.16 बीघा तथा खसरा नम्बर 20 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल 5 बीघा के सम्बन्ध में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने वादी का वाद स्वीकार कर वादी को ग्राम गुराडिया देवडा, तहसील गंगधार की खाता संख्या 264 के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.16 बीघा एवं खसरा नम्बर 20 रकबा 4.04 बीघा कुल रकबा 5.00 बीघा आराजी से सरतान बाई बेवा कानसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया देवडा का नाम निरस्त कर रूगनाथसिंह पिता शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया देवडा को खातेदार कृषक घोषित कर दिया एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 विधि, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी ग्राम गुराडिया देवडा, तहसील गंगधार की जमाबंदी संख्या 264 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 20 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल 5 बीघा की खातेदार अपीलांट की माता सरतान बाई बेवा कानसिंह है तथा उसका नाम वर्तमान में, खाते में दर्ज है। अपीलांट सरतान बाई का गोद पुत्र है तथा वर्षों से विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस कारण पारित निर्णय व डिक्री अपीलांट के हितों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रिपोर्ट कि मृतक सरतान बाई का कोई संतान वारिस कायम मुकामान मौजूद नहीं है जबकि अपीलांट मृतक सरतान बाई का गोद पुत्र होने के नाते कायम मुकामान है लेकिन बिना कोई तहकीकात किये तथा बिना अपीलांट को सूचित किये, बिना सुनवायी का अवसर दिये ही मृतक सरतान बाई के खाते की विवादित भूमि का खातेदार रेस्पोडेंट नम्बर 1 को घोषित कर दिया, जो सर्वथा न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री प्रदान कर दी है जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट ही अपनी गोद माता सरतान बाई के जीवनकाल से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा भूमि पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 का कोई कब्जा नहीं है और न रेस्पोडेंट नम्बर 1 विवादित भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गोद माता की खातेदारी की भूमि को महज गलत रिपोर्ट व कब्जे के आधार पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 को मालिक व खातेदार घोषित कर निर्णय व डिक्री जारी कर दी है, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। विवादित भूमि अपीलांट की गोद माता के खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में अपीलांट का हित निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न सुना गया है, इस कारण निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे हैं । इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से एग्रीव्ड परसन होने के कारण अपीलांट यह अपील पेश कर रहा है। अपील पेश करने की अनुमति हेतु धारा 96 जा0 दी0 का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 अपास्त किया जावे ।

5 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की गोद माता के खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में अपीलांट का हित निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न सुना गया है इस कारण निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे हैं इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से एग्रीव्ड परसन होने के कारण अपीलांट यह अपील पेश कर रहा है।

7 अतः प्रार्थना है कि धारा 96 जा0 दी0 के तहत अपीलांट एग्रीव्ड परसन होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

8 रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी का जवाब रेस्पोडेंट की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार नहीं है। अपीलांट खातेदार सरतान बाई बेवा कानसिंह का अपने आपको गोद पुत्र बताकर प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र असत्य, आधारहीन तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रार्थना पत्र की प्रार्थना अस्वीकार है।

9 विशेष आपत्तियां – यह कि अपीलांट ने गोद के मामले में अपील व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी के साथ कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह खातेदार सरतान बाई का गोद पुत्र साबित हो सके, जब तक सिविल कोर्ट से अपने आपको गोद पुत्र घोषित नहीं करवा लेता तब तक अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, गोदनामा से सम्बन्धित दस्तावेज के अभाव में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है और उसे यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है।

10 अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी सव्यय अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर अपील भी खारिज फरमायी जावे।

11 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

12 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 318, आर.बी.जे. 2021 पेज 213, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 954 व आर.आर.टी. 2011–12 (सप्लीमेंट्री) पेज 246 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

13 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

14 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनने व प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत अपील का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2017 के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि अपीलांट की गोद माता सरतानबाई के खातेदारी की भूमि है, जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में अपीलांट का हित निहित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2017 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर रूगनाथ सिंह पुत्र शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडियाखेड़ा का कब्जा काश्त होना अंकित है। अपीलांट ने स्वयं को सरतान बाई का गोद पुत्र बताते हुए धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु स्वयं को गोद पुत्र साबित करने के लिए स्वयं का, भगवान सिंह पुत्र रतन सिंह तथा गोकुल सिंह पुत्र बापू सिंह की ओर से शपथ पत्र मात्र पेश कर अपीलांट मानसिंह को सरतान बाई का गोद पुत्र होना बताया है। जिसके जवाब में वादी रेस्पोडेंट द्वारा स्वयं का, भगवान सिंह पुत्र बापू सिंह, करण सिंह आत्मज नाथू सिंह, भगवान सिंह पुत्र भंवर सिंह तथा सुजान सिंह पुत्र डूगर सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट मानसिंह को सरतान बाई बेवा कान सिंह का गोद पुत्र नहीं होना बताया है। अतः अपीलांट व रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर गोद पुत्र की स्थिति को विधि सम्मत रूप से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत अपील में अपीलांट के द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया, जिससे अपीलांट को सरतान बाई का गोद पुत्र माना जा सके। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के मूल वाद में पक्षकार नहीं था, ना ही खातेदार या सहखातेदार है, और ना ही सद्भावी केता की हैसियत रखता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना भी नहीं सिद्ध होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार होना नहीं पाया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। अपीलांट स्वयं को प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अपील भी प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

15 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

16 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/10/23

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

राज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मानसिंह आत्मज चन्दर सिंह, आयु 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़	बनाम	1– रूगनाथसिंह आत्मज शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
.....अपीलांट		... रेस्पोडेंट

अपील नं. 108 / 2017 व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, गंगधार
मु.द.नं / दावा / 2016 निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक – 13.05.2017

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 03 माह 10 सन् 2023

हाजरी **श्री बी0एस0 भटनागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट **सी0पी0 खण्डेलवाल।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 13.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 10 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)